



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18032023-244457
CG-DL-W-18032023-244457

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 12—मार्च 18, 2023, शनिवार/ फाल्गुन 21—फाल्गुन 27, 1944
No. 5] NEW DELHI, MARCH 12—MARCH 18, 2023, SATURDAY/ PHALGUNA 21—PHALGUNA 27, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

का.नि.आ. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय (बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) में बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना), सेना क्रय संगठन, बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
बाजार आसूचना सांख्यिकी और प्रगति अधिकारी	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- ₹)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800/- ₹) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100/- ₹) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400/- ₹) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकीय या प्रचालन अनुसंधान या गणित या वाणिज्य या आर्थिक या कृषि आर्थिक में मास्टर डिग्री; और (ii) सरकार के अधीन संगठन में बाजार आसूचना या सांख्यिकीय के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय: सरकार के अधीन संगठन में भंडार की खरीद में एक वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए/34032/एमआईएसपीओ /मुप्रअ/भर्ती-2]

जितेन्द्र कुमार, निदेशक

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

S.R.O. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence (Market Intelligence Statistical and Progress Officer) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Market Intelligence Statistical and Progress Officer in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Army Purchase Organisation, Market Intelligence Statistical and Progress Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Market Intelligence Statistical and Progress Officer	1* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial

Pay Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(4)	(5)
Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
Deputation : Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administrations : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing following qualifications and experience: (i) Masters degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Commerce or Economics or Agricultural Economics from a recognised University or Institute; and (ii) two years experience in the field of Market Intelligence or Statistics in an organisation under the Government. Desirable : One year experience in procurement of stores in an organisation under the Government. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of the post.

[F. No. A/34032/MISPO/CAO/R-II]

JITENDRA KUMAR, Director